

1965

**हिमाचल प्रदेश सरकार,
वन विभाग**

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the

Sub:- Diversion of 3.5418 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Village to Brua (Kms.0/00 to 6/500), within the jurisdiction of Kinnaur Forest Division, Distt. Kinnaur, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB189/2010 - CHA दिनांक 10-04-2013 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 3.5418 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Village to Brua (Kms.0/00 to 6/500), within the jurisdiction of Kinnaur Forest Division, & Distt. Kinnaur, Himachal Pradesh, को उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती हैं।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- 2 कम से कम वृक्ष कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार एक सौ अठ्ठानवे वृक्षों से अधिक नहीं होगी।
- 3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UF Palingcha में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 9,55,169 /- (नौ लाख पचपन हजार एक सौ उनहत्तर मात्र) की राशि से कुल 7.00 हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- 4 An undertaking by the user agency to pay the additional NVP, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India be obtained & sent to the O/o MoEF, GoI, Northern Region, Chandigarh.
- 5 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे।
- 6 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 7 पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या 11-48/2002.FC दिनांक 29/30 अप्रैल 2005, 5-3/2007- FC दिनांक 17 जनवरी 2011 तथा अन्य जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 8 यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

- 9 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अर्न्तगत पूर्व में जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB189/2010 - CHA दिनांक 10-04-2013 में जारी सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 10 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Kinnaur.
- 11 उपरोक्त निर्माण में जो भी वक्ष आयेगें उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटया जायेगा।
उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the, 6-5-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of condition contained from Sr.No. 1-11 in the above order
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001.
5. The Deputy Commissioner, Kinnaur, Distt. Kinnaur, Himachal Pradesh.
6. Executive Engineer, Karcham Division, HPPWD Bhabanagar, Distt. Kinnaur, HP.
7. CCF, Kinnaur /DFO Kinnaur Forest Division & Distt. Shimla, H.P.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

मु.प्र.प. हि.प्र.
दिनांक 6/5/13
नांक 7/5/13

2
5/5/13